



Neutral Citation No.- 2026:AHC:60421

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 5171 वर्ष 2026

शेषनाथ पांडे उर्फ पंकज पांडे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	राजेश कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन दिनांक 28.07.2023 के आरोपपत्र और दिनांक 29.08.2024 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ मुकदमा संख्या 21427 वर्ष 2024 (राज्य बनाम शेषनाथ पांडे उर्फ पंकज पांडे और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध संख्या 260 वर्ष 2022, धारा 406, 419, 420 आईपीसी, थाना बंसडीह रोड, जिला बलिया से संबंधित है और बलिया के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय न्यायालय में लंबित है।
3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आरोप पत्र और संज्ञान/समन आदेश को इस आधार पर चुनौती दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 10 एससीसी 690 में प्रकाशित** मामले में स्थापित विधिक सिद्धांत के अनुसार धारा 420 और 406 आईपीसी एक साथ लागू नहीं की जा सकती। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया जा रहा है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“38. हमारी राय में, शिकायत को सीधे पढ़ने से उपर्युक्त किसी भी तत्व का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। पुलिस और अवर न्यायालय के मन में कानून को लेकर एक गंभीर गलतफहमी को दूर करने के उद्देश्य से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि शिकायतकर्ता का यह दावा है कि अभियुक्त ने धारा 405 आईपीसी के तहत परिभाषित आपराधिक न्यास-भंग का अपराध किया है, जो धारा 406 आईपीसी के तहत दंडनीय है, तो उसी क्षण यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 आईपीसी में परिभाषित और स्पष्ट किए गए छल का अपराध भी किया है, जो धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय है।

41. मात्र अनुबंध उल्लंघन और आपराधिक न्यास-भंग एवं छल के बीच अंतर सूक्ष्म है। छल के मामले में, प्रलोभन देते समय आरोपी के इरादे की जांच की जानी चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण एकमात्र मापदंड नहीं है। मात्र अनुबंध उल्लंघन छल के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता जब तक कि लेन-देन की शुरुआत से ही, यानी अपराध घटित होने के समय से ही, कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण इरादा प्रदर्शित न हो। इसलिए, यही इरादा अपराध का मूल तत्व है।

43. आपराधिक न्यास-भंग और छल में अंतर है। छल के मामले में, झूठा या भ्रामक बयान देते समय, यानी शुरुआत से ही, आपराधिक इरादा होना आवश्यक है। आपराधिक न्यास-भंग में, केवल सौंपे जाने का प्रमाण ही पर्याप्त होता है। इस प्रकार, आपराधिक न्यास-भंग के मामले में, अपराधी को वैध रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और वह बेईमानी से उसका दुरुपयोग करता है। जबकि, छल के मामले में, अपराधी कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी व्यक्ति को धोखा देकर उससे कोई संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून का उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे छल और आपराधिक न्यास-भंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और भिन्न हैं। एक ही परिस्थिति में ये दोनों अपराध एक साथ नहीं हो सकते। वे एक दूसरे के विपरीत हैं। आईपीसी (अब बीएनएस, 2023) के ये दोनों प्रावधान जुड़वां नहीं हैं कि एक दूसरे के बिना अस्तित्व में न रह सकें।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क कानूनी मुद्दे पर आधारित होने के कारण विपक्षी पार्टी संख्या 2 को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
5. दूसरी ओर, विपक्षी पार्टी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के स्थापित सिद्धांत पर विवाद करने में असमर्थ हैं।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने, मामले के अभिलेखों का अध्ययन करने और **दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त)** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि धारा 420 और 406 आईपीसी को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता है। अतः, मुकदमा संख्या 21427 वर्ष 2024 (राज्य बनाम शेषनाथ पांडे उर्फ पंकज पांडे और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 260 वर्ष 2022 से संबंधित है और धारा 406, 419, 420 आईपीसी के अंतर्गत पुलिस स्टेशन बंसडीह रोड, जिला बलिया में दर्ज है, और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय बलिया के न्यायालय में लंबित है, में दिनांक 29.08.2024 को पारित संज्ञान/समन आदेश को रद्द किया जाता है। मामले को संबंधित विद्वान न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि यदि आवश्यक हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त)** मामले में स्थापित कानून के सिद्धांत के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित किया जा सके।
7. अतः, यह आवेदन **आंशिक रूप से स्वीकार** किया जाता है।

23 मार्च, 2026

विवेक कुमार

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)